फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट–थाना जहानगंज

दिनांक - 20.04.2026

एसओजी/सर्विलांस/थाना जहानगंज पुलिस टीम द्वारा हत्या के अभियोग में नामजद/वाँछित अभियुक्त को आलाकत्ल सहित किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर, श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर, श्री हरीश चंदर के कुशल पर्यवेक्षण एवं नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एसओजी/सर्विलांस/थाना जहानगंज पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 59/26 धारा 137(2)/103(1)/3(5) बीएनएस मे नामजद/वांछित अभियुक्त अनीस पुत्र वीरेन्द्र सिंह हत्या मे प्रयुक्त आलाकत्ल एक चाकू तथा एक गमछा व हत्या मे प्रयुक्त मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. अनीस पुत्र वीरेन्द्र सिंह निवासी नारायनपुर सेन्ट्रल जेल चौराहा के पास थाना फतेहगढ जनपद फतेहगढ।

घटना का संक्षिप्त विवरण- दिनांक 17.04.2026 को थाना जहानगंज क्षेत्रान्तर्गत काली नदी के किनारे एक अज्ञात महिला का शव पडे होने की सूचना प्राप्त हुई थी प्राप्त सूचना पर थाना जहानगंज पुलिस द्वारा अज्ञात महिला के शव को पीएम व शिनाख्त हेतु मोर्चरी फतेहगढ में रखवाया गया था। तत्पश्चात थाना जहानगंज पुलिस द्वारा अज्ञात युवती के शव कि शिनाख्त हेतु डीसीआरबी व सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचारित प्रसारित कराया गया था, उसी के क्रम में मृतका की शिनाख्त कोतवाली छिबरामऊ जनपद कन्नौज की निवासी के रूप में हुई । दिनांक 19.04.2026 को मृतका के भाई की लिखित तहरीर के आधार पर थाना जहानगंज पर मु0अ0सं0 59/26 धारा 137(2)/103(1)/3(5) बीएनएस बनाम अनीस उपरोक्त व अन्य साथी नाम पता अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना के क्रम में मुखबिर की सूचना पर नामजद/वांछित अभियुक्त अनीस पुत्र वीरेन्द्र सिंह हत्या मे प्रयुक्त आलाकत्ल एक चाकू तथा एक गमछा व हत्या मे प्रयुक्त मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरणः- अभियुक्त अनीस उपरोक्त द्वारा पूछताछ करने पर बताया गया कि मृतक युवती से करीब पिछले 02-03 वर्षो से उसका प्रेम प्रसंग था । वर्तमान में मृतका किसी अन्य लडके से बात करने लगी थी तथा मेरा नम्बर ब्लाक कर दिया था, जिसके बारे मे मैने कई बार बात करने की कोशिश की थी, परन्तु उसनें बात करने से मना कर दिया था। दिनांक 17.04.2026 को मै अपने घर से ही सब्जी काटने वाला चाकू लेकर गया था तथा अपनी मोटरसाइकिल से मृतका के घर के सामने मुँह पर मास्क लगा कर पहुँचा, जब वह घर के दरवाजे पर आयी तो मुझे वहां गली में खडा देखकर मेरे पास आयी जहाँ से मैं उसे आखिरी बार बात करने का हवाला देकर मोटरसाइकिल पर बैठाकर काली नदी पुल छिबरामऊ-जहानगंज रोड के पास झाडियों में ले गया जहाँ बातचीत के दौरान मृतका युवती ने मुझे बहुत अपमानित किया जिससे नाराज होकर मैनें उसके गले पर 02-03 बार चाकू से वार किया तथा युवती को वहीं पर छोडकर अपनी मोटरसाइकिल लेकर घर चला गया था। साहब मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। शेष सफाई जरिए अधिवक्ता मा0न्यायालय में देना बताया।

अभियुक्त अनीस उपरोक्त का अपराधिक इतिहासः-

01. मु0अ0सं0 59/26 धारा 137(2)/103(1)/3(5) बीएनएस थाना जहानगंज जनपद फतेहगढ।

बरामदगी का विवरण-

01. एक मोटरसाईकिल
02. एक चाकू
03. एक गमछा (सफेद रंग)

गिरफ्तार करने वाली थाना जहानगंज पुलिस टीमः-

01. प्रभारी निरीक्षक पूनम अवस्थी
02. उ0नि0 अवधेश अवस्थी
03. उ0नि0 उदयसिंह
04. का0 सोनू सिंह
05. का0 अनुज कुमार

गिरफ्तार करने वाली एसओजी टीमः-

01. सचिन सिंह चौधरी (प्रभारी एसओजी)
02. हे0का0 करन यादव
03. हे0का0 तेजप्रताप
04. हे0का0 जितिन त्रिपाठी
05. का0 सौरभ धीमान
06. का0 विकास चन्द्र
07. मु0आ0चा0 चंद्रशेखर

गिरफ्तार करने वाली सर्विलांस टीमः-

01.सन्तकुमार (प्रभारी सर्विलांस टीम)
02.क0ऑ0 अमित शर्मा
03.हे0का0 संदीप राव
04.हे0का0 अनुराग कुमार
05.हे0का0 सचेंद्र सिंह
06.हे0का0 मयंक दीप
07.का0 राहुल शर्मा

मीडिया सेल फतेहगढ़ ।